सप्तदश बिहार विधान सभा

षष्ठम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02

सोमवार, दिनांक-27 जून, 2022 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.25 बजे पूर्वाह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण कार्यस्थगन की सूचना को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से कहा गया कि आपके विरोध का भाव दर्ज हो गया है । अब आप सब अपने-अपने स्थान पर जाएँ । बिहार को समृद्ध बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है । आपका कार्यस्थगन प्राप्त हुआ है । उचित समय पर अपनी बातों को रखें ।

[1] आसन से प्रस्ताव :-

आसन द्वारा कहा गया कि सभी माननीय सदस्यगण अपने अपने क्षेत्र के जनसमर्थन प्राप्त प्रतिनिधि हैं । अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या और संभावनाओं से हमारा संबंध और सरोकार लाजमी है । राज्य और राज्य की जनता के सतत् विकास में हमारी सक्रिय भागीदारी भी रहती है ।

अत: ''राज्य प्रशासन की विकासात्मक इकाईयों जैसे प्रखण्ड और जिले में सभी माननीय विधायक जनविकास, जन सरोकार के निकट सम्पर्क में रह पाए इसके लिए प्रखण्ड कार्यालय तथा समाहरणालय में माननीय विधायकों के लिए एक कक्ष कर्णांकित किया जाए ताकि सभी माननीय विधायक जनता से, जनता के सतत विकास से सीधे और सक्रिय रूप से जुड़ने में समर्थ हो सकें ।''

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

[2] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ने प्रस्ताव किया कि ''आज दिनांक-27 जून 2022 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

आसन द्वारा कहा गया कि आज दिनांक-27 जून, 2022 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो, जिसमें समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :-

1. सोमवार, दिनांक-27 जून, 2022 को विधायी कार्य के निष्पादन के उपरांत ''राज्य में वायु-प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र संबंधी विषय पर विमर्श हो;

2. मंगलवार, दिनांक-28 जून, 2022 को अन्तराल के बाद ''उत्कृष्ट विधान सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर विमर्श हो;

3. शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

कार्यमंत्रणा समिति के उक्त प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

[3] <u>प्रश्नकाल</u> :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ट ।
(iii) 08 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन माध्यम से शत्-प्रतिशत प्राप्त हुए हैं ।

प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः अपनी मांगों को लेकर शोर-गुल एवं नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया की जब सभी सदस्य अपने स्थान पर बैठेंगे तभी उनकी बातें प्रोसिडिंग में जाएगी तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में भी जाएगी ।

आसन द्वारा सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने का बार-बार अनुरोध किया गया । साथ ही, माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री अजीत शर्मा को संक्षिप्त रूप में अपने कार्यस्थगन की सूचना को पढ़ने का अवसर दिया गया लेकिन शोर-गुल एवं वेल में बार-बार आने के कारण इनके कार्य स्थगन की सूचना से संबंधित बातें प्रोसिडिंग का हिस्सा नहीं बनाने का निदेश आसन द्वारा दिया गया ।

कार्यस्थगन सूचना पढ़े जाने के उपरांत विपक्ष के माननीय सदस्यगण सूचना पर सदन में विमर्श किये जाने को लेकर शोरगुल तथा नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि बक्सर जिला के विभिन्न स्कूलों से आए हुये बच्चे सदन की कार्यवाही देखने के लिए मौजूद है इसलिए सभी माननीय सदस्यों से सदन के मर्यादा और गरिमा को बनाये रखने तथा सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में अपना सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग देने का अनुरोध किया गया ।

तदुपरांत माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि जो कार्यस्थगन सूचनायें आती है उसे आसन स्वीकृत या अस्वीकृत करता है, जो अस्वीकृत हो गया उसे पढ़ने का भी प्रावधान नहीं है । आसन ने इन्हें विशेष सुविधा देकर पढ़ने का अवसर दिया है । परंतु तब भी सदन में शोरगुल और नारेबाजी करना उचित नहीं है ।

तत्पश्चात विपक्ष के माननीय सदस्यों के कतिपय टिप्पणी और नारेबाजी पर माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करना घोर निंदनीय है । सदन के इतने विषय कार्यसूची में है फिर भी केंद्र से जुड़े विषय पर नारा लगाना और माननीय प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है ।

आसन द्वारा कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, अथवा कोई भी बात जो इस सदन का विषय नहीं है उसपर चर्चा नहीं होगी और न ही उस विषय को यहाँ उठाने का अवसर मिलेगा और यह बातें प्रोसिडिंग का हिस्सा भी नहीं बनेंगी ।

आसन द्वारा बार बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने तथा शांति से सदन चलने देने के अनुरोध के बावजूद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न् तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.20 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

विधायी कार्य :-

[4] **राजकीय विधेयक :-**

''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022''

माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव, माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया । तदुपरांत ''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022'' सदन से स्वीकृत हुआ ।

[5] **सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-**

आसन द्वारा कहा गया कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-43 के अन्तर्गत श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० से सामान्य लोकहित के विषय-''राज्य में वायु-प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श'' का प्रस्ताव दिया गया है ।

आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अग्निपथ योजना को वापस लेने के विषय पर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह एक महत्वपूर्ण विमर्श का विषय है इस पर विमर्श होने दिजिए ।

यह प्रस्ताव प्रतिपक्ष का है और प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर सदन नहीं चलने देना, यह दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है । आसन द्वारा माननीय सदस्यों से बार-बार अपने-अपने स्थान पर जाने व सदन को चलने देने का अनुरोध किया गया लेकिन शांति स्थापित नहीं हो सकी । आसन द्वारा सभी दलीय नेताओं से आग्रह किया गया कि इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए अध्यक्षीय कक्ष में आकर विमर्श करें ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 02.45 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(02.45 बजे अपराह्न से 02.51 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आसन द्वारा पुनः माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया है और उस प्रस्ताव पर आप बहस करना नहीं चाहते हैं, यह उचित नहीं है । सदन की गरिमा कैसे बढ़े, जो प्रस्ताव आपने लाया है उस पर बहस हो ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से शांति कायम करने एवं अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया किन्तु शांति कायम नहीं हो सकी और निर्धारित विषय पर विमर्श नहीं हो सका ।

[6] **निवेदन** :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 17 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-28 जून, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-27.06.2022

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।